# परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक निर्देश
## (परीक्षा प्रवेश पत्र के क्रम में वेबसाईट पर भी उपलब्ध कराये जायेगे।)

परीक्षार्थी नीचे लिखे अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें, किसी भी अनुदेश का पालन न किये जाने पर मुख्य परीक्षा नियन्त्रक द्वारा परीक्षार्थी के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही की जा सकती है।

1. परीक्षार्थी को परीक्षा में अन्तरिम रूप से प्रवेश दिया गया है अर्थात् परीक्षार्थी की नियमानुसार पात्रता की जांच नहीं की गई है। केवल इस तथ्य से कि उसे इस परीक्षा हेतु बैठने के लिए फोटोंयुक्त प्रवेश–पत्र जारी कर दिया है, यह मतलब नहीं है कि उसे इस परीक्षा हेतु नियमानुसार पात्र मान लिया गया है। पात्रता की जांच करते समय यदि यह ज्ञात होता है कि परीक्षार्थी नियमानुसार इस परीक्षा हेतु पात्र नहीं है तो उसकी अभ्यर्थिता किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है।
2. परीक्षा में प्रवेश से पूर्व अभ्यर्थी स्वयं अपनी पात्रता की जांच नियमानुसार कर लें।
3. परीक्षा में बैठने के लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।
4. परीक्षार्थी को चाहिए कि वह प्रवेश पत्र प्राप्त होते ही उसकी सावधानी पूर्वक जांच कर लें।
5. परीक्षार्थी परीक्षा कार्यक्रम का भलीभांति अध्ययन कर लें एवं यह ध्यान रखें कि उसे किस परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा देनी है।
6. किसी भी स्थिति में परीक्षार्थी को आवंटित परीक्षा केन्द्र के अतिरिक्त अन्य परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
7. परीक्षा भवन में प्रवेश के लिए प्रत्येक परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र अपने साथ लावें। प्रवेश पत्र के अभाव में उसे परीक्षा भवन में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रेषित प्रवेश पत्र समय पर न मिलने अथवा खो जाने की स्थिति में परीक्षार्थी निर्धारित कंट्रोल रूप से प्रवेश पत्र की डुप्लीकेट प्रति प्राप्त कर सकते हैं।
8. कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा भवन में प्रवेश पत्र एवं प्रवेश सम्बन्धी कागजातों के अतिरिक्त अपने साथ कोई कागज/किताब/पर्ची, मोबाईल फोन, हथियार आदि लेकर नहीं आयेगा। परीक्षा देते समय किसी प्रकार की कोई सामग्री किसी व्यक्ति/परीक्षार्थी से न लेगा और न देगा, दूसरों के पत्रों की नकल न करेगा और न अपने पत्रों की नकल करने देगा, न कोई पत्र दूसरों से लेगा और न लेने या देने का प्रयास करेगा। किसी प्रकार की अव्यवस्था अनाचरण अथवा नकल करने या इनकी कोशिश करने वाले परीक्षार्थी को नियमों के अनुसार दण्डित किया जायेगा।
9. परीक्षार्थी को केन्द्राधीक्षक/अभिजागर द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करना होगा। ऐसा न करने अथवा परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने पर, परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपभोग करने पर परिक्षार्थी के विरूद्ध केन्द्राधीक्षक जो परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 के अन्तर्गत भी कार्यवाही की जा सकती है। परीक्षा परिसर में किसी प्रकार का हथियार या उस तरह की वस्तु लेकर आना अपराध होगा।
10. केन्द्राधीक्षक/अभिजागर या परीक्षा नियंत्रक द्वारा अधिकृत व्यक्ति संदेह होने की स्थिति में परीक्षार्थी की तलाशी ले सकते हैं, जिसमें परीक्षार्थी को उन्हें पूर्ण सहयोग देना होगा तथा उनके द्वारा पूछे गये प्रश्नों का उत्तर देना होगा।

11. परीक्षार्थी को अपना बाल पेन साथ लाना चाहिए। वस्तुपरक परीक्षा के *Optical Mark Reader.*(OMR ) Sheet में वाछित सूचना भरने हेतु अभ्यर्थी को बाल पाईंट पेन की आवश्यकता होगी। OMR Sheet पर रोल नम्बर व परीक्षार्थी के हस्ताक्षर बाल पाईट पेन से भरे जायेंगे। OMR Sheet में पर दिये अनुदेशों के अनुसार रोल नम्बर, आदि सूचनाएं बाल पाईन्ट पेन से भरे जायेंगे। वस्तुपरक परीक्षा में परीक्षार्थी को रफ कार्य हेतु खाली कागज नहीं दिया जावेगा एवं किसी भी प्रकार की सहायता सामग्री (केलकुलेटर या लॉग टेबल आदि) के प्रयोग की भी अनुमति नहीं होगी।

12. प्रश्न पत्र बहुविकल्प के होंगे, जिसके उत्तर OMR पत्रक पर देने होंगे।

13. सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे।

14. प्रश्नों के उत्तर काली/नीली स्याही के बाल पैन से भरने होंगे। प्रश्न के उत्तर को OMR Sheet (उत्तर पत्रक) पर सही गोल खाने में ही भरना होगा।

15. परीक्षार्थी द्वारा गलत उत्तर देने पर प्रश्न हेतु निर्धारित अंकों में से 1/3 अंकों की कटौति की जावेगी।

16. एक से अधिक उत्तर देने पर भी 1/3 अंक काटा जावेगा तथा प्रश्न का उत्तर नहीं देने पर अंक नहीं काटा जावेगा।

17. OMR पत्रक में अपना रोल नम्बर, जैसा कि आपको प्रवेश पत्र में अंकित है, वैसा ही भरा जावें।

18. प्रश्न पत्र व उत्तर पुस्तिका (ओ.एम.आर. शीट) परीक्षार्थी केन्द्र पर वापिस लौटायेंगे। प्रश्न पत्र किसी भी परिस्थिति में परीक्षा भवन से बाहर नहीं ले जा सकेगा।

19. परीक्षार्थी से अपेक्षा की जाती है कि वह परीक्षा आरंभ होने के निर्धारित समय से 15 मिनिट पहले परीक्षा भवन में पहुंचकर तुरन्त अपना निर्धारित स्थान ग्रहण कर लें ।

20. परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय के पश्चात् आने वाले परीक्षार्थी परीक्षा भवन में प्रवेश के अधिकारी नहीं होंगे। केन्द्राधीक्षक विशेष परिस्थितियों में नियत समय के 20 मिनट तक आने वाले परीक्षार्थियों को स्वविवेक से प्रवेश की अनुमति दे सकते हैं, किन्तु 20 मिनट उपरान्त किसी भी परिस्थितियों में परीक्षार्थी को परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

21. परीक्षार्थी अपना स्थान ग्रहण करने के साथ ही अपनी जेब, डेस्क, आस–पास के स्थानों को भली–भांति देख ले कि वहां कोई पुस्तक/पर्चा अथवा अन्य किसी प्रकार की अवांछित सामग्री तो नही रखी है। यदि उसके साथ अथवा आस–पास ऐसी ऐसी कोई सामग्री है तो वह अभिजागर को सूचित करें अन्यथा इस सम्बन्ध में परीक्षार्थी स्वयं जवाबदेह होगा।

22. परीक्षार्थी अभिजागर से प्राप्त OMR Sheet का सावधानी से निरीक्षण कर ले कि वह पूर्ण है, कोई पृष्ठ कटा–फटा हुआ नहीं हैं। OMR Sheet पर अंकित निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर रोल नम्बर आदि सूचनाएं स्पष्ट रूप से अंकित की जावें, इनमें रही त्रुटि के लिए परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। OMR Sheet पर वांछित सूचनाओं के अलावा कोई पहचान चिन्ह अंकित न करें क्योंकि OMR Sheet में प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त असंबंधित शब्द/वाक्य लिखने पर परीक्षार्थी को दण्डित किया जा सकता है।

23. परीक्षा कक्ष में प्रवेश उपरान्त परीक्षा समय शुरू होने से आधा घंटे तक परीक्षार्थी को शौच आदि हेतु परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी, तत्पश्चात् पूर्ण परीक्षा समय तक परीक्षार्थी एकबार अभिजागर की अनुमति से लघुशंका हेतु जा सकेगा।

24. परीक्षा कक्ष में धुम्रपान, मद्यपान, चाय व पान आदि का प्रयोग वर्जित है।

25. परीक्षा समय प्रारंभ होने की सूचना एक घंटा बजाकर दी जावेगी। परीक्षार्थी को प्राप्त प्रश्न पत्र का अवलोकन कर यह सुनिश्चित कर लें कि प्रश्न पत्र के पृष्ठ पूर्ण हैं तथा किसी प्रकार की कोई मुद्रण अशुद्धि नहीं है। परीक्षार्थी प्रश्न पत्र पर दिये गये निर्देशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर पालन करें।

26. प्रश्न पत्र में रही किसी भी त्रुटि के सम्बन्ध में यदि परीक्षा नियंत्रक द्वारा केन्द्राधीक्षक/अभिजागर के माध्यम से कोई अधिकारिक सूचना नहीं दी जाती है तो परीक्षार्थी प्रश्न पत्र में उल्लेखानुसार ही प्रश्नों को हल करें। परीक्षा समाप्ति उपरान्त अभ्यार्थी परीक्षा नियंत्रक को लिखित में अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है। मुख्य नियंत्रक द्वारा यथोचित कार्यवाही की जावेगी।

27. वस्तुपरक परीक्षा के OMR Sheet का मूल्यांकन कम्प्यूटर के द्वारा होता है। अतः त्रुटि के कारण OMR Sheet की कोई प्रविष्ठि कम्प्यूटर द्वारा नहीं पढ़ी जाती है तो अभ्यर्थी स्वयं जवाबदेह होगा। OMR Sheet में उत्तर भरने से पूर्व OMR Sheet के पृष्ठ पर दिये गये अनुदेशों को देखकर उत्तर पत्रक (OMR Sheet) भरे।

28. परीक्षार्थी, जिस श्रेणी के लिए आवेदन कर रहा है, वह श्रेणी अपनी OMR Sheet में रूप से अंकित करेगा, अन्यथा उसकी पात्रता केवल सामान्य श्रेणी की मानी जावेगी।

29. परीक्षार्थी को परीक्षा हेतु निर्धारित समय से पूर्व परीक्षाकक्ष छोडने की अनुमति नहीं दी जावेगी। एकबार परीक्षाकक्ष छोडने की स्थिति में परीक्षा भवन में किसी भी स्थिति में पुनः प्रवेश नहीं दिया जावेगा।

30. परीक्षार्थी प्रश्न पत्र साथ नहीं ले जा सकेगा। परीक्षा कक्ष छोड़ने से पूर्व परीक्षार्थी OMR Sheet व प्रश्न पत्र अभिजागर को संभला दें, तत्पश्चात् अभिजागर से अनुमति लेकर परीक्षा कक्ष छोड़े।

31. परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों/तरीकों का प्रयोग किये जाने पर अभ्यार्थी को अयोग्य घोषित किया जा सकेगा।

32. अभ्यर्थियों को बिना प्रवेश पत्र के परीक्षा केन्द्रों पर प्रवेश नहीं दिया जावेगा। आवेदक को निर्धारित समय पर प्रवेश पत्र प्राप्त नहीं होने पर अथवा खो जाने पर सम्बन्धित जिला कलक्टर कार्यालय से सम्पर्क कर डुप्लीकेट प्रवेश पत्र प्राप्त कर लिया जावें।

कंट्रोल रूम नम्बर ......................................

(जिले का कंट्रोल रूम नम्बर अंकित करावें )

**जिला कलक्टर एवं**
**जिला परीक्षा नियंत्रक**
**जिला ......................**